

रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलान बटार मार्ग, पालम, दिल्ली छावनी-10
Controller General of Defence Accounts, Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt. - 10

SPEED POST

No. AT/XII/12212/Corr/ATN/PAC

Dated : 28.07.2016

To

All PC₃DA/C₅DA/Pr IFA_s/IFA_s
Pr. C of A (Fys) KOIKAL


Sub: Non-compliance by the Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of the C&AG of India 1st Report (16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (Para 8 & 10).

A copy of Ministry of Finance, Department of Expenditure letter no. 12(13)/E.Coord/2015 dated 21.06.2016 on the above subject is forwarded herewith for information and necessary action at your end please.

2. It is requested that the instructions as mentioned in Ministry of Finance letter dated 21.06.2016 may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

3. This issues with the approval of Jt. CGDA (AT).

Encl: As above.


(T. Kabilan)
Dy. CGDA (IA)

Copy to:

1. All Audit Sections/
IFA Section (Local) : For information and necessary action please.
2. The EDP Section (Local) : For uploading on CGDA's website.

Sd/-
Sr. A.O (AT-XII)

Ministry of Defence (Finance)
(Budget-II)

Subject: Non-compliance by the Ministries/Departments in timely submission of Action Taken Notes on the Non-selected Audit Paragraphs of the C&AG of India-1st Report(16th Lok Sabha) of the Public Accounts Committee (Para 8 & 10).


A copy of the Department of Expenditure, Ministry of Finance Office Memorandum bearing No.12 (13)/E.Coord/2015 dated 21.06.2016 on the subject matter is enclosed herewith for necessary action and compliance please.

Maulishree Pande
(Maulishree Pande)
Director (Fin/Bud.)
Tel No. 23012554

JS (O/N), JS(C&W), JS(G/Air), JS(LS), JS(NS), JS(ESW), JS(E), JS&AM(MS), JS&AM(LS), JS&AM(Air), JS(BRDB), JS(Aero), CCR&D, CGDA, JS(Tg.) & CAO.

MoD (Fin) ID No. 213(5)/2016/B-II dated 01.07.2016.

99
12-7-16



सं. 12(13)/ई.कोऑर्ड/2015

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

२१ जून, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट समय पर प्रस्तुत न किया जाना- लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की प्रथम रिपोर्ट (पैरा 8 एवं 10)।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर लोक लेखा समिति (16वीं लोक सभा) की प्रथम रिपोर्ट का अवलोकन करने का निदेश हुआ है। इस रिपोर्ट के पैरा 8 एवं 10 में की गई समिति की टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:-

पैरा 8:-

समिति इस बात से अवगत है कि रेल, रक्षा, विदेश मंत्रालयों आदि जैसे बड़े मंत्रालयों के मामले में सूचना एकत्र करने में अधिक समय लगता है क्योंकि सूचना/उत्तर विभिन्न फील्ड फॉर्मेशन्स से प्राप्त करना होता है और विदेश मंत्रालय के मामले में इन्हें विभिन्न टाइम जोनों से प्राप्त करना होता है। हालांकि, समिति का सुविचारित मत है कि समिति में एटीएन के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब नहीं किया जा सकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि उन मामलों में जहां जांच के लिए दिए गए एटीएन पर लेखापरीक्षा में कतिपय आपत्तियां उठती हैं और मंत्रालय ऐसी आपत्तियों/टिप्पणियों से सहमत नहीं होता है, तो संबद्ध मंत्रालय लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों समेत एटीएन समिति में प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही, उन मामलों में जहां जांच मंत्रालय/विभाग बकायों की वसूली के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी विषयों को स्वीकार कर लेता है और जहां वास्तविक वसूली में समय लगता है, तो लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों को अनन्तिम रूप से स्पष्ट करने पर विचार किया जा सकता है और मंत्रालय आगे बढ़कर एटीएन को समिति में प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु, ऐसे प्रत्येक मामले में यह आवश्यक है कि मंत्रालय कालांतर में की गई वसूली की लेखापरीक्षा से अवगत कराए।

